न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०
	5-2-19 [illegible] श्रीमान P.O. महोदय [illegible] है। आयन्दा [illegible] राज कार्य [illegible] पत्रावली दिनांक 9.5.19 को उनके समक्ष पेश हो। [signature]
	9/5/19 वादी अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी का अखबार इश्तहार पेश करें। वास्ते तलबी पत्रावली दिनांक 11.6.19 को पेश हो। [signature]
	11/6/19 वादी अनुपस्थित। पूर्व आदेश की पालना करें। पत्रावली दिनांक 13.8.19 को पेश हो। [signature]
13/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली की आदेशिका 29/5/18 द्वारा वादी को जरिये समाचार पत्र प्रकाशन तामिल का अवसर प्रदान किया गया था, वादी द्वारा आदिनांक तक जरिये समाचार पत्र प्रकाशन का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड डाकपत्रों पर टिप्पणी अंकित है "इस नाम का प्राप्तकर्ता हांसपुर खुर्द में नहीं है"। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा सम्मन तामिल के बिना लौटने के पश्चात प्रतिवादीगणों का सही पता मालूम कर नए सम्मन पेश करने का कोई प्रयास नहीं किया, न ही सम्मन पेश किए। अखबार द्वारा प्रकाशन के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद अखबार द्वारा प्रकाशन कर तामिल नहीं करवाई गई। वादी का वाद प्रतिवादीगण

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी,कोटकासिम

क	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
	1 से 7 के विरुद्ध अन्तर्गत आदेश 7 नियम 5 जाब्ता दीवानी खारिज किया जाता है। वादीद्वारा अनुतोष प्रतिवादीगण 1 से 7 के विरुद्ध ही अनुतोष चाहा गया था। प्रतिवादी सं. 8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार है जिसके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। जब प्रतिवादीगण 1 से 7 जिनके विरुद्ध अनुतोष चाहा गया था के विरुद्ध वाद खारिज किया ~~जाता है~~ जा चुका है तो वाद वादी चलने योग्य नहीं रहा है अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	RW 13/8/19
	निर्णय खुले न्यायालय में वकील वादी की उपस्थिति में सुनाया गया है। वकील वादी को निर्णय Noted करने या निर्णय की प्रमाणित प्रति लेने बाबत अवगत करवाया गया तो वकील वादी ने इन्कार कर दिया।
	RW 13/8/19

Scanned by CamScanner